

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)

-: आदेश :-

- अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-११(आ०), दिनांक- २५.०८.२०१५ द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में योजना मुख्य शीर्ष-२५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-००-लघु शीर्ष-१९८-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-०१०६-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-२८०१-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-२५१५००१९८०१०६ एवं लघु शीर्ष-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-०१०४-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-२८०१-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ-विपत्र कोड-पी-२५१५००७८९०१०४ के लिए उपलब्ध कराई गई राशि को संलग्न विवरणी के अनुसार प्रखंडों को उनके पदनाम के सामने उपावंटित किया जाता है।
२. यह उपावंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-४-०५/९८-२५६१ वि(२) दिनांक-१७.०४.१९९८ एवं ३९६, दिनांक-२४.०४.२०१५ में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
३. उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के मांग संख्या १६ के अन्तर्गत योजना बजट में उपबंधित बजट शीर्षों के अन्तर्गत जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, २०११ के नियमों के आलोक में की जायेगी।
४. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विभागीय राज्यादेश सं०-०४, दिनांक-०७.०८.२०१५ में निहित अनुदेश के आलोक में नियमों के अंतर्गत व्यावसायिक भुगतान हेतु समीक्षा करेंगे तथा सभी स्तरों के पदधारकों के नियत भत्ते का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के द्वारा संबंधित पदधारकों के खातों में करेंगे।
५. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/ लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/ प्राथमिकता इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
६. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
७. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
८. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ भुगतान करनेवाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
९. उपावंटित राशि का मासिक व्यय विवरणी निश्चित रूप से प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के पाँचवी तारीख तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

२०/

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-...../पं०, मधेपुरा, दिनांक- ०५/११/२०१५.

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिले के वेबसाइट पर अपलोड एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

२

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु- 2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ एवं लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104- ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु- 2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ -विपत्र कोड-पी-2515001980106

सरपंच हेतु मासिक राशि- 2500/-, उप-सरपंच हेतु मासिक राशि 1200/- एवं सदस्य हेतु मासिक राशि-500/- की दर से माह अप्रैल 2015 से सितम्बर, 2015 तक कुल छः माह के लिए उपावंटित राशि

क्र०	प्रखंड का नाम	ग्राम कचहरी की सं०	लघु शीर्ष- 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु- 2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	ग्राम कचहरी की सं०	लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु- 2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	कुल उपावंटित राशि
1	मधेपुरा	17	829170	17		
2	शंकरपुर	9	438972	9	169830	999000
3	धैलाढ़	9	438972	9	89910	528882
4	गम्हरिया	8	390197	8	89910	528882
5	सिंहेश्वर	13	634071	13	79920	470117
6	मुरलीगंज	17	829170	17	129870	763941
7	कुमारखंड	21	1024269	21	169830	999000
8	ग्वालपाड़ा	12	585296	12	209790	1234059
9	बिहारीगंज	12	585296	12	119880	705176
10	उदाकिशुनगंज	16	780395	16	119880	705176
11	पुरैनी	9	438972	9	159840	940235
12	आलमनगर	14	682849	14	89910	528882
13	चौसा	13	634071	13	139860	822709
	कुल योग :-	170	8291700	170	129870	763941
					1698300	9990000


 जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
 मधेपुरा।